उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग–5 संख्याः **| 6 8 |** /79–5–2015 लखनऊः दिनांकः **| 5** जुन, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

रिट याचिका संख्या—32076 / 2015 सुरेश बाबू शर्मा एवं 02 अन्य बनाम उ०प्र0 राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—5—2015 का प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

".....The petitioner no.1 claims to be a Head Master in an Institution, namely, Uchcha Prathmik Vidyalaya, Chichatia, Islamnagar, District Budaun and his date of birth is 5.6.1953. The petitioner no.2 is also Head Master in an institution, namely, Primary Vidhyalaya Miyanpur Diyaura, Vikas Kshetra, Islamnagar, District Budaun and his date of birth is 1.1.1953. The petitioner no.3 is also a Head Master in an institution, namely, Upper Primary Institution, Sagar Sarai Patisa, Islamnagar, District Budaun and his date of birth is 10.6.1953. The said institution are run and maintained by the Basic Education Board. Their date of retirement is 30.6.2015. It is submitted that by Government Order dated 9.12.2014 the academic session of the School have been been changed and now it is from Ist of April of the current year to 31st March next year and, therefore, it is prayed that they may be given session benefit and may be allowed to continue till 31st March, 2016. The writ petition is disposed of with the direction to the respondent no.1 to consider the claim of the petitioners in accordance with law and pass appropriate orders within a period of three months from the date a certified copy of this order is presented before it. While deciding the claim of the petitioners, the authority will make sure that no candidate is extended session benefit twice. "

- 2— मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के कम में शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा दिनांक 12.6.2015 को उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार याची संख्या—1 प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय चिचिटिया, इस्लामनगर, जनपद—बदायूँ, याची संख्या—2 प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय मियांपुर दियोरा, विकास खण्ड इस्लामनगर, जनपद—बदायूँ एवं याची संख्या—3 प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय सागर सरॉय पतीसा, विकास खण्ड इस्लामनगर, जनपद—बदायूँ को सेवा विस्तार दिये जाने के संबंध में प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाने का है।
- 3— मा० उच्च न्यायालय द्वारा, विभिन्न रिट याचिकाओं यथा—रिट याचिका संख्या—28481/2015, घमण्डीलाल वर्मा व 03 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—अमरोहा, याचिका संख्या—3978/2015, अनूप सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—आगरा, रिट याचिका संख्या—30114/2015, मुन्नूलाल बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—इलाहाबाद, रिट याचिका संख्या—63435/2015, सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व 09 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—मिर्जापुर, रिट याचिका संख्या—33843/2015, जयपाल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—जे०पी० नगर, रिट याचिका संख्या—30695/2015, अहमद हसन अंसारी व 25 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—कानपुर नगर, रिट याचिका संख्या—30857/2015, मुलायम सिंह अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—औरेया, रिट याचिका संख्या—27142/2015, मिथलेश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—औरया, रिट याचिका संख्या—27142/2015, मिथलेश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—औरया, रिट याचिका संख्या—31266/2015, श्यामलाल दुबे व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—परिरोजाबाद, रिट याचिका संख्या—29906/2015, निर्मला जैन व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—फिरोजाबाद, रिट याचिका संख्या—33568/2015, सीतापित देवी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—फिरोजाबाद, रिट याचिका संख्या—33568/2015, सीतापित देवी व अन्य बनाम उ०प्र०

राज्य व अन्य, जनपद—बस्ती, रिट याचिका संख्या—29510/2015, रामस्वरूप व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—कानपुर नगर, रिट याचिका संख्या—31318/2015, जगनलाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—मैनपुरी, रिट याचिका संख्या—29998/2015, त्रिलोकी व 03 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—महराजगंज, रिट याचिका संख्या—33990/2015, देवेन्द्र दत्त त्रिपाठी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—फतेहपुर, रिट याचिका संख्या—32888/2015, बरकत अली व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—केतिरुप्र, रिट याचिका संख्या—28419/2015, सत्यपाल सिंह चौहान व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—अलीगढ़, रिट याचिका संख्या—27560/2015, रामकुमार गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—कानपुर देहात, रिट याचिका संख्या—32914/2015, जोगेन्द्र नाध सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—अलागढ़, रिट याचिका संख्या—31239/2015, अबदुल्ला मंसूरी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—हमीरपुर, रिट याचिका संख्या—32959/2015, उमा शंकर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—वित्रकूट, रिट याचिका संख्या—32191/2015 श्रीमती कलावती देवी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—वित्रकूट, रिट याचिका संख्या—32191/2015 श्रीमती कलावती देवी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—बित्रकूट, रिट याचिका संख्या—33990/2015, श्रुतिलेश कुमारी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—बित्रकूट, रिट याचिका संख्या—33990/2015, श्रुतिलेश कुमारी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, जनपद—बित्रक्र में भी भिन्न—भिन्न तिथियों में प्रत्यावेदन निस्तारण के आदेश दिये गये हैं।

- 4— उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय / अशासकीय मान्यता प्राप्त (सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त) प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय में शैक्षिक सत्र परिवर्तन दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक, शासनादेश संख्या—4960 / 79—5—2015, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि शासनादेश का प्रभाव विद्यालय संचालन, प्रवेश, छात्र—छात्राओं की कक्षोन्नित तक सीमित रहेगा। शिक्षकों के 30 जून तक सत्रान्त लाभ पर शैक्षिक सत्र परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं माना जायेगा तथा शिक्षकों को सत्रान्त लाभ पूर्व की भांति अनुमन्य होगा।
- 5— यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई अध्यापक जिसकी जन्मतिथि 02 जुलाई हो तो उसे 30 जून तक सत्र का लाभ पूर्व से ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (यथा संशोधित) दिया जा चुका है। वे सभी अध्यापक आगामी 30 जून तक पूर्व से ही सत्रान्त का लाभ प्राप्त कर रहें हैं अतः उन्हें पुनः सत्रान्त का लाभ दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः एतद् द्वारा उक्त समस्त संदर्भित रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन में याचीगण का प्रत्यावेदन निरस्त कर निस्तारित किया जाता है।

> (एच० प्रता) सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1- निदेशक (बेसिक शिक्षा / एस०सी०ई०आर०टी०), उ०प्र० लखनऊ।

2— सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० इलाहाबाद ।

3 समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने से संबंधित रिट याचिका की प्रति प्राप्त कर उसमें उल्लिखित समस्त याचीगण को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

4- गार्ड बुक ।